वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

सितम्बर, 2024 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में हुए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

i. माननीया केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने दिनांक 18.09.2024 को नई दिल्ली में 'नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना', राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (एनपीएस वात्सल्य) योजना, का शुभारंभ किया। एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ पूरे देश में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था, जिसमें नाबालिग अभिदाताओं को 250 से अधिक प्रान का वितरण किया गया था।

ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता माननीया केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने दिनांक 30.09.2024 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में की। अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा के दौरान ईटानगर और नामसाई में माननीय वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

iii. माननीय वित्त मंत्री ने नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। यह अभियान दिनांक 17.09.2024 से 02.10.2024 तक 'स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता' विषय के साथ मनाया गया। डीएफएस ने अपने संगठनों (पीएसबी, पीएसएफआई, पीएसआईसी आदि) के साथ अभियान के दौरान 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें देश भर के 8 लाख से अधिक नागरिकों/ग्राहकों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी संगठनों ने स्वच्छता शपथ ली, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, वृक्षारोपण अभियान-एक पेड़ मां के नाम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाए। अभियान के अंतर्गत 2 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।

iv. विभाग ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/एमएफआई से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ दिनांक 9.9.2024 को एक बैठक का आयोजन किया।

v. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण पर सचिव (डीएफएस) और ऋण वसूली अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2024 को नई दिल्ली में डीआरटी और डीआरएटी के दक्षता के स्तर के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपेक्षित मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और उनका पता लगाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईबीए और पीएसबी गठबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

vi. सरकार ने निम्नलिखित के संबंध में अपनी अनापत्ति की जानकारी दे दी है:

क. दिनांक 17.9.2024 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा क्यूआईपी के माध्यम से बाजार से 2,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव

ख. सितंबर 2024 के महीने में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्रमशः 10,000 करोड़ रुपये, 2,500 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड जुटाने के लिए प्रस्ताव

vii. स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) ने दिनांक 2.9.2024 को भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों के मोचन के लिए 659 करोड़ रुपये भारत के समेकित कोष में जमा कर दिए हैं। एसएएसएफ आईडीबीआई बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष प्रयोजन साधन था और तदनुसार, एसएएसएफ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बराबर राशि पर 9000 करोड़ रुपये की दबावग्रस्त आस्तियां अंतरित की गई| सितंबर, 2024 के महीने में पूरी राशि या तो मोचित कर ली गई या उसे रद्द कर दिया गया।

viii. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण गतिविधियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति:

योजनाएं	दिनांक 25.09.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि (दिनांक 25.09.2024 की स्थिति के अनुसार)	सितम्बर, 2024 में वृद्धि (दिनांक 25.09.2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)			
● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	53.61 करोड़	166.73 लाख	34.19 (23.92 लाख ग्रामीण + 10.27 लाख शहरी)
● जमाराशि	2,31,858 करोड़ रुपए	(-644.29) करोड़ रुपए	3895.52 करोड़ रुपए
● रुपे कार्ड की संख्या	36.52 करोड़	117.50 लाख	24.21 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)			
● नामांकन	46.56 करोड़	275 लाख	67 लाख
● संवितरित दावों की संख्या	1,44,707	10,134	1,548
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)			
● नामांकन	21.16 करोड़	126 लाख	29 लाख
● संवितरित दावों की संख्या	8,38,218	60,299	11,297
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (30.09.2024)	6.98 करोड़	54.86 लाख	11.40 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 27.09.2024 की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (27.09.2024 तक)		सितम्बर, 2024 के दौरान (27.09.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	39.59	11.29	1.18	0.43	0.21	0.08
किशोर	9.24	12.14	0.78	0.94	0.15	0.17
तरूण	1.03	7.38	0.06	0.55	0.01	0.07
कुल	**49.86**	**30.81**	**2.02**	**1.92**	**0.37**	**0.32**
एससी/एसटी/ओबीसी (कुल में शामिल)	25.05	10.75	1.00	0.66	0.16	0.12
महिलाएं (कुल में से)	33.72	13.57	1.22	0.72	0.21	0.12

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 30.09.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 30.09.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		अगस्त 2024 के दौरान (दिनांक 30.09.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अ.जा.	45,013	9,511.63	6,980	1,444.63	912	177.45
अ.ज.जा.	14,824	3,165.68	2,104	432.80	315	64.56
महिलाएं	1,88,582	43,466.76	11,208	2,695.02	1,050	260.11
कुल	**2,48,419**	**56,144.07**	**20,292**	**4,572.45**	**2,277**	**502.12**

2. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, 59 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 398 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 105 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 99.19 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है।

3. **डिजिटल भुगतान:** देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन सितम्बर 2024 माह में कुल 1,767 करोड़ तक पहुंच गया है और इसमें 1,504 करोड़ यूपीआई लेनदेन शामिल हैं।

4. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार 13,224.44 करोड़ रुपये की राशि के कुल 94.14 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 90.09 लाख ऋण आवेदनों में 12,501.57 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

5. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 27.09.2024 की स्थिति के अनुसार, 174.61 करोड़ कासा खातों में से 153.34 करोड़ खातों (87.8%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

6. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.48 करोड़ और 15.88 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है जिनमें से सितम्बर, 2024 के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 5.43 लाख और 14.29 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

****